fpRrkMx< dUnh; lgdkjh cd fy0] fpRrkMx<
Þd"kd fe=@d"kd lkFkh ;ktukUrxr eY;kdu ifronuß
'kk[kk&----------------------------------

1. प्रार्थी का नाम :–श्री ....
2. पिता का नाम मय पता :– श्री ....
   :–नि0............................पोस्ट ....तहसील................................
3. यदि संयुक्त प्रार्थी है तो :–श्री ....पिता श्री ....
   श्री ....पिता श्री ....

   यदि संयुक्त प्रार्थी नही है, तथा कृषि भूमि के अन्य भागीदार और है तो, सहमति पत्र प्राप्त किया गया है/नहीं।
4. प्रार्थी के स्वामित्व की भुमि का विवरण कुल कृषि भूमि...कुल कृषि भूमि में से सिंचित.., असिंचित... सिंचाई के स्त्रोत.................................. ....(जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, ट्रैस नक्शा व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मय डीएलसी मुल्यांकन, कृषक साथी योजनान्तर्गत कृषि भूमि की विधिक रिपोर्ट संलग्न करें।)
5. योजनान्तर्गत पूर्व में दिए गए लाभ का विवरण:–
   स्वीकृति दिनांक .... राशि .... आवेदन दिनांक को शेष.................. उक्त अवधि में लेनदेन पर टिप्पणी...
   ....
   ....
6. उपपंजीयक कार्यालय से प्राप्त भू–मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार भूमि का डीएलसी मूल्य रू0.....................लाख सिंचित रू0 .... असिंचित रू0 ....बीड़ व बंजड रू0 .... लाख (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
7. सदस्य समिति का नाम ....सदस्यता क्रमांक .... दिनांक .... समिति से व्यवहार................................ ....
8. किसी अन्य संस्था से प्राप्त सुविधा का ब्यौरा...
9. लाभार्थी ऋण राहत योजना में लाभप्राप्त कर चुका है या नहीं ।
10. क्या एक मुश्त समझौता योजना का लाभ दिया गया है?...यदि हॉ तो राहत राशि व अन्य ब्यौरा अंकित करें।...

11. संबंधित ऋण पर्यवेक्षक की मौका मुआयना रिपोर्ट संलग्न है/नहीं।

12. साख सीमा निर्धारण – फसली कार्यक्रम के अनुसार :–

रबी फसली कार्यक्रम				
क्रमांक	नाम उत्पादित फसल	बोया जाने वाला क्षेत्रफल	तकनीकी कमेटी द्वारा निर्धारित लागत	कुल लागत (3X4)
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	योग			
खरीफ फसली कार्यक्रम				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	योग			

कुल साख सीमा रू. ..... लाख

प्रथम पैक्स/लेम्प्स स्तर पर रू. 1.50 लाख (केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज अनुदान योजना)

द्वितीय बैंक शाखा स्तर पर रू. ..... लाख (केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज अनुदान योजना)

शेष कृषक साथी योजनान्तर्गत रू. ..... लाख ..... प्रतिशत ब्याज दर पर

13. प्रार्थी की अन्य स्थायी व अस्थायी संपति का विवरण :–

उक्तानुसार तथ्यों की जानकारी समिति रेकार्ड व प्रार्थी से व्यक्तिगत साक्षात्कार से अंकित की गई है। प्रार्थी को नियमानुसार बैंक का नोमिनल सदस्य बनाया जाकर भूमि पर रहन दर्ज होने के उपरांत रू..... ..... लाख (अक्षरे रू0..... लाख मात्र) का अग्रिम किया जावेगा अतः ऋण स्वीकृत किए जाने की सिफारिश की जाती है । इसमें से प्रथम रू. 1.50 लाख तक का ऋण पैक्स/लेम्प्स स्तर एवं शेष रू. ..... लाख का ऋण कृषक मित्र योजनान्तर्गत शाखा स्तर पर (केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज अनुदान योजना के अनुसार), उपरोक्त दोनों की अधिकतम साख सीमा रू. 3.00 लाख तक होगी । रू. 3.00 लाख से अधिक फसली साख सीमा के निर्धारण होने से शेष रू. ..... लाख कृषक साथी योजनान्तर्गत ब्याज दर ..... प्रतिशत पर स्वीकृती की अनुसंशा की जाती है ।

शाखा प्रबंधक

fpRrkSMx< dsUnzh; lgdkjh cSad fy0] fpRrkSMx<
Þd"kd fe=@d"kd lkFkh ;kstukUrxZr eY;kadu ifronuß
'kk[kk&----------------------------------

1. प्रार्थी का नाम :–श्री ....
2. पिता का नाम मय पता :– श्री ....
   :–नि0...........................पोस्ट ....तहसील................................
3. यदि संयुक्त प्रार्थी है तो :–श्री ....पिता श्री ....
   श्री ....पिता श्री ....

   यदि संयुक्त प्रार्थी नही है, तथा कृषि भूमि के अन्य भागीदार और है तो, सहमति पत्र प्राप्त किया गया है/नहीं।
4. प्रार्थी के स्वामित्व की भुमि का विवरण कुल कृषि भूमि..कुल कृषि भूमि में से सिंचित..., असिंचित... सिंचाई के स्त्रोत................................ ....(जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, ट्रैस नक्शा व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मय डीएलसी मुल्यांकन, कृषक साथी योजनान्तर्गत कृषि भूमि की विधिक रिपोर्ट संलग्न करें।)
5. योजनान्तर्गत पूर्व में दिए गए लाभ का विवरण:–
   स्वीकृति दिनांक .... राशि .... आवेदन दिनांक को शेष................. उक्त अवधि में लेनदेन पर टिप्पणी...
   ....
   ....
6. उपपंजियक कार्यालय से प्राप्त भू–मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार भूमि का डीएलसी मूल्य रू0....................लाख सिंचित रू0 .... असिंचित रू0 ....बीड़ व बंजड रू0 .... लाख (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
7. सदस्य समिति का नाम ....सदस्यता क्रमांक .... दिनांक .... समिति से व्यवहार..............................
   ....
8. किसी अन्य संस्था से प्राप्त सुविधा का ब्यौरा..
9. लाभार्थी ऋण राहत योजना में लाभप्राप्त कर चुका है या नहीं ।
10. क्या एक मुश्त समझौता योजना का लाभ दिया गया है?..यदि हॉ तो राहत राशि व अन्य ब्यौरा अंकित करें।...

11. संबंधित ऋण पर्यवेक्षक की मौका मुआयना रिपोर्ट संलग्न है/नहीं।

12. साख सीमा निर्धारण – फसली कार्यक्रम के अनुसार :–

रबी फसली कार्यक्रम				
क्रमांक	नाम उत्पादित फसल	बोया जाने वाला क्षेत्रफल	तकनीकी कमेटी द्वारा निर्धारित लागत	कुल लागत (3X4)
1.	2.	3.	4.	5.
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
	योग			
खरीफ फसली कार्यक्रम				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
	योग			

कुल साख सीमा रू. ..... लाख

प्रथम पैक्स/लेम्प्स स्तर पर रू. 1.50 लाख (केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज अनुदान योजना)

द्वितीय बैंक शाखा स्तर पर रू. ..... लाख (केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज अनुदान योजना)

शेष कृषक साथी योजनान्तर्गत रू. ..... लाख ..... प्रतिशत ब्याज दर पर

13. प्रार्थी की अन्य स्थायी व अस्थायी संपति का विवरण :–

उक्तानुसार तथ्यों की जानकारी समिति रेकार्ड व प्रार्थी से व्यक्तिगत साक्षात्कार से अंकित की गई है। प्रार्थी को नियमानुसार बैंक का नोमिनल सदस्य बनाया जाकर भूमि पर रहन दर्ज होने के उपरांत रू..... ..... लाख (अक्षरे रू0..... लाख मात्र) का अग्रिम किया जावेगा अतः ऋण स्वीकृत किए जाने की सिफारिश की जाती है । इसमें से प्रथम रू. 1.50 लाख तक का ऋण पैक्स/लेम्प्स स्तर एवं शेष रू. ..... लाख का ऋण कृषक मित्र योजनान्तर्गत शाखा स्तर पर (केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज अनुदान योजना के अनुसार), उपरोक्त दोनों की अधिकतम साख सीमा रू. 3.00 लाख तक होगी । रू. 3.00 लाख से अधिक फसली साख सीमा के निर्धारण होने से शेष रू. ..... लाख कृषक साथी योजनान्तर्गत ब्याज दर ..... प्रतिशत पर स्वीकृती की अनुसंशा की जाती है ।

शाखा प्रबंधक

fpRrkMx< dUnh; lgdkjh cd fy0] fpRrkMx<
Þlk{kkRdkj ,o eY;kdu ifronuß

1. साक्षात्कार एवं मूल्यांकन दिनांक ....

2. आवेदक का नाम मय वल्दियत ....

3. स्थायी पता ....

4. निज स्वामित्व में नहरी एवं दो फसली कृषि भूमि ....एकड़.................. असिचिंत.....................

5. उत्पादित फसलों संबंधी विवरण की जांच :–

खरीफ कार्यक्रम

	नाम फसल	बोया गया क्षेत्रफल (एकड़ में)	फसली मापदण्ड़ अनुमान लागत	कुल लागत
1.				
2.				
3.				
4.				

रबी कार्यक्रम

	नाम फसल	बोया गया क्षेत्रफल (एकड़ में)	फसली मापदण्ड़ अनुमान लागत	कुल लागत
1.				
2.				
3.				
4.				

6. ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम
व सदस्यता क्रमांक .... दिनांक ....

7. नोमिनल सदस्यता हेतु प्रवेश
शुल्क व अमानत जमा कराने
कि दिनांक ....

8. शाखा में बचत खाता
संबंधी विवरण :

1. खाता खुलाने की दिनांक ....
2. खाता संख्या .... सीआईएफ संख्या ....
3. साक्षात्कार की तिथि पर
   खातें में जमा राशि..........................

9. ऋण पेटे बंधक रखे जाने वाली भूमि का पूर्ण विवरण नाम खातेदार श्री .....

.....

खाता संख्या	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल	हिस्सा	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि	भूमि की अनुमानित कीमत

10. गारंटी देने वाले व्यक्तियों का नाम, पता :–

1. श्री .....
   पता .....
   धारित सम्पत्ति.....

2. श्री .....
   पता .....
   धारित सम्पत्ति.....

अचल सम्पत्ति(मकान/कृषि भूमि) अनुमानत रू. .....

11. प्रस्तावित ऋण सीमा अ. कृषक मित्र .....
    ब. कृषक साथी योजना .....

12. साख सीमा की अवधि .....

13. जमानतदारों की सामर्थ्य एवं विश्वसनीयता
    सुनिश्चित करने हेतु की गयी कार्यवाही .....
    निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न हैः

14. गिरदावरी व जमा बंदी

15. किसी अन्य वित्तीय संस्था/पैक्स/लेम्प्स से प्राप्त सुविधा का ब्यौरा

उपरोक्त विवरण एवं आवेदन पत्र के साथ वांछित पत्रादि सहित प्रार्थी श्री .... पुत्र श्री .....में बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत कृषक मित्र योजना में रू..... लाख एवं कृषक साथी योजना में रू. ..... लाख कुल रू.....लाख योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने बाबत् सिफारिश की जाती हैं ।

संलग्न : मूल आवेदन पत्र
एवं तत्संबंधी
वांछित प्रपत्र

शाखा प्रबंधक

fpRrkM+x< dUnh; lgdkjh cSd fy0] fpRrkM+x<

(कृषक मित्र/कृषक साथी योजना के अंतर्गत कृषकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु)

आवेदन–पत्र

प्रबंध निदेशक,

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

शाखा.....

फोटो

1. आवेदक का नाम– .....
2. पिता का नाम– .....
3. पुरा पता– .....

   .....
4. धारित कृषि भूमि सिंचित ..... असिंचित ..... योग .....
5. उत्पादित फसली संबंधी विवरण –

   खरीफ उत्पादन कार्यक्रम

क्र.सं.	नाम फसल	औसत उत्पादन (क्विंटल में)	न्यूनतम बाजार भाव	अनुमानित आय
1.				
2.				
3.				
	रबी उत्पादन कार्यक्रम			
1.				
2.				
3.				

6. ग्राम सेवा सहकारी समिति
   जिसका आवेदक सदस्य है
   (सदस्यता प्रमाण–पत्र संलग्न करें।)
7. ऋण पेटे बंधक रखे जाने वाली भूमि का पूर्ण विवरण

खाता संख्या	खसरा नं.	कुल क्षेत्रफल	हिस्सा	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि	भूमि की अनुमानित कीमत

8. शाखा मे बचत खाता संबंधी विवरण :–

   खाता खुलवाने की दिनांक .....

   खाता संख्या ..... सीआईएफ संख्या .....

   वर्तमान में खाते में जमा राशि .....

9. नोमिनल सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क
   व अमानत जमा करवाने की दिनांक.....
10. चाही गई ऋण सुविधा कृषक मित्र रू. ..... कृषक साथी रू. .....
11. साख सीमा की अवधि .....

1. मै घोषणा करता हूं कि उपर दी गई सूचना में री जानकारी में पूर्ण रूप से ठीक एवं सत्य है।
2. यह ऋण सुविधा उसी उद्धेश्य हेतु प्रयुक्त की जावेगी जिसके लिए स्वीकृति की गई है।
3. यह सहमति भी दी जाती है कि यह बैंक द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है तो केवल आपके बैंक से ही लेन–देन किया जायेगा तथा आपकी लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य बैंक से ऋण नही लिया जायेगा।

हस्ताक्षर सत्यापित

भवदीय

हस्ताक्षर .....

.....

.....

शाखा प्रबंधक

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

.....

आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न हैः–

1. गत तीन वर्षो की जमाबंदी व गिरदावरी, ट्रैस नक्शा व संबंधी पटवारी का प्रमाण–पत्र डीएलसी मुल्य सहीत । कृषक साथी योजनान्र्तगत विधिक रिपोर्ट संलग्न करें ।
2. बंधक रखे जाने वाली भूमि का तहसीलदार से निर्धारित प्रारूप में भार मुक्ति प्रमाण–पत्र ।

'kiFk&i=

मैं ..... पुत्र श्री .....

उम्र .....जाति ..... निवासी .....

तहसील..... जिला ..... का हूं।

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक से कृषक मित्र योजना में रू. ..... कृषक साथी योजना में रू. ....की साख सीमा ..... वर्ष के लिए स्वीकृत करवायी गयी है।
2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि साख सीमा जारी रहने तक समस्त लेन–देन ग्राम सेवा सहकारी समिति/बैंक के माध्यम से करूँगा।
3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं, कि उत्पादित फसल एवं भूमि पर समस्त ऋण राशि चुकता होने तक बैंक का प्रथम प्रभार मानने के लिए सदैव पाबंद रहूंगा।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे नाम पर गांव ..... के खसरा नं. ..... तहसील ..... में ..... बीघा/एकड़/हैक्टर खातेदारी भूमि है जिसका मैं अकेला मालिक हू एवं उस काबिज है ।
5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरी की उक्त भूमि किसी को रहन वैद्य या अन्य तरीके से अन्तरित नही की गयी है।
6. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा समयावधि में ऋण उत्पादन एवं आय में वृद्वि करने के उद्धेश्य से ले रहा हूं ।
7. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा समयावधि में ऋण चुकता नही करने पर बैंक को अधिकार होगा कि बैंक मेरी भूमि को ऋण सीमा तक अपने अधिकार में लेकर काश्त करवाये, ठेके पर देवे, विक्रय करें या अन्य तरीके से भूमि से मांग पेटे रकम प्राप्त कर ऋण वसूल कर लेंवे जिसमें मैं व मेरे उत्तराधिकारी को कोई उजरदारी नहीं होगी।
8. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि शपथ पत्र की मद संख्या 1 से 7 में दर्ज तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। कोई तथ्य छुपाया घटाया बढ़ाया नहीं है।

ईश्वर मेंरी मदद करें।

दिनांक ..... प्रार्थी

[kl jk fxjnkojh

कार्यालय पटवारी ग्राम..... तहसील.....जिला– .....

iekk.k&i=

प्रमाणित किया जाता है कि जमाबंदी में उल्लेखित खसरा, रकबा, किस्म, लगान आदि का विवरण आज तिथि में सरकारी रिकार्ड के अनुसार सही और दुरूस्त है । बंधक की जाने वाली भूमि का क्षैत्रफल व रेखा चित्र सही है। इस भूमि के लगान पेटे कोई रकम बकाया नही है और ना ही किसी को यह भूमि हस्तातरण की गई है। ऋण पेटे के बंधक रखी जाने वाली भूमि पर प्रार्थना–पत्र में नामांकित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई अधिकारी नहीं है। जमाबंदी व खसरा गिरदावरी के अनुसार भूमि का विवरण निम्न प्रकार है –

Hkfe dk idkj	ckjkuh	pkgh	ugjh	dqy df"k Hkfe g-@ch?kk
	.....	.....	.....	.....
Mh,yh eY;	.....	.....	.....	.....

दिनांक .....

हस्ताक्षर पटवारी
ग्राम ..... तहसील.....

iekk.k&i=

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र श्री ..... खाता नं. ..... रकबा..... ग्राम..... ..... को भूमि का रेवेन्यू रेकार्ड अनुसार काश्तकार है और उक्त प्रार्थी अतिक्रमी नहीं है।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण पत्र के साथ दिया गया भूमि का नक्शा सही है और इस पर मैंने सही होने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस रेवेन्यू रिकार्ड एवं मेंरी स्थानीय जानकारी अनुसार उपरोक्त भूमि समस्त भार से मुक्त है और इस पर उपरोक्त प्रार्थी श्री ..... के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी पर किसी प्रकार का सरकारी मुलातबा तथा तकाबी आदि कागजात पटवार में बकाया नहीं है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... स्वयं ही उपरोक्त भूमि को काश्त इस समय कर रहा है।
6. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त काश्तकार को उपरोक्त रकम पर गत पांच वर्ष में किसी प्रकार की लगान में छूट नही दी गयी है।
7. प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम ..... की आखरी जमाबंदी सम्वत् ..... से सम्वत् ..... की है कि तथा यह जमाबंदी इस समय चालू जमाबंदी है।
8. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... सुपुत्र श्री ..... को कही कोई भूमि सीलिंग कानुन से प्रभावित नहीं हैं।

दिनांक..... हस्ताक्षर पटवारी

हल्का ..... तहसील.....

श्री उपपंजीयक महोदय,

उपपंजीयक कार्यालय .....

जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : दिनांक.....

विषय : बैंक द्वारा रहन की गई भूमि का प्रभार चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक के पक्ष में करने हेतु ।

प्रसंगः– सहकारी संस्था अधिनियम 2001 की धारा 39 के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी श्री ..... पुत्र श्री ..... ग्राम ..... तहसील ..... जिला चित्तौड़गढ़ ने इस बैंक से ..... रूपये का ऋण ..... उद्देश्य हेतु संलग्न प्रपत्र धारा 6(1) के अधीन घोषणा पत्र के अनुसार भूमि को रहन रखकर ले रहा है। अतः प्रार्थी को भूमि का चित्तौड़गढ़ के पक्ष में भार दर्ज कर इस बैंक को सूचित करने का कष्ट करें। प्रार्थी की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

ग्राम तहसील	खसरा संख्या	रकबा	किस्म भूमि	लगान
नाम				

प्रबंधक/शाखा प्रबंधक

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

चित्तौड़गढ

/kkjk 6¼1½d% v/khu ?kks"k.kk

मैं.....से वित्तीय सहायता का लाभ उठाने की इच्छा से राजस्थान कृषि ..... 1974 की धारा 6(1) द्वारा यथा अपेक्षित यह घोषणा करता हूँ कि मैं/हम नीचे विनिर्दिष्ट भूमि का स्वामी हूँ/हैं। मैं/हम काश्तकार के रूप में हितबद्ध हूँ/हैं और मै/हम.....द्वारा मुझे/हमे दिये जाने वाली वित्तीय सहायता.....तथा भविष्य में दी जाने वाली समस्त सहायता एवं उन पर ब्याज लागत एवं खर्चों की प्रतिभूति के लिए .....के पक्ष में उक्त भूमि/उक्त भूमि के हित पर एतद् द्वारा प्रभार सृजित करता हूँ/करते है ।

ग्राम का नाम	तहसील	जिला	खसरा संख्या	क्षेत्रफल एकड़ बीघा
1	2	3	4	5

ग्राम का नाम	तहसील	जिला	खसरा संख्या	क्षेत्रफल एकड़ बीघा
1	2	3	4	5
घोषितकर्ता का हिस्सा	निर्धारण	लगभग कीमत	विल्लभंग यदि कोई हो	.....
एकड़ बीघा	रूपये पैसे	रूपये		
6	7	8	9	10
0.62 हैक्ट.				

जिसके साक्ष्य में श्री/श्रीमती .....पुत्र/पत्नी श्री.....दो हजार.....वर्ष के .....दिवस.....माह को .....करता/करती हूँ ।

घोषणाकर्ता/घोषणाकर्ताओं के हस्ताक्षर

क्र.स. नाम पता हस्ताक्षर

1.

साक्षी : निम्न की उपस्थिति में उपरनमित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और प्रदत्त अनुप्रमाणित –

क्र.स.	नाम	पता
1.	.....	.....
2.	.....	.....

प्रमाणितकर्ता – आभार सहित, उप पंजीयक को घोषणा के अधीन सृजित प्रभार.....की विशिष्ठियों को उसके कार्यालय में अभिलिखित करते का निवेदन करते हुए अंग्रेषित है ।

शाखा प्रबन्धक/अभिकर्ता

आभार सहित, तहसीलदार के अधिकारी अभिलेख में घोषणा के अधीन सृजित प्रभार.....की विशिष्ठिता कर .....को उसके अभिलेख के लिए लौटाने का निवेदन करते हुए अग्रेषित है ।

उप–पंजीयक

आभार सहित, शाखा प्रबन्धक/अभिकर्ता शाखा .....समादर के साथ वापिस घोषणा के अधीन सृजित प्रभार.....दिवस.....माह.....वर्ष को अभिलेख में सम्यक रूप से सम्मिलित कर लिया गया है ।

तहसीलदार

आज दिनांक .....मास ..... सन् ..... को पुस्तक संख्या ..... जिल्द संख्या ..... में पृष्ठ संख्या .... किया गया।

पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर

राज्य सरकार की विज्ञप्ति नं. एफ. 25(22) सह./ /53 दिनांक 26 जुलाई 1954 जो कि राजस्थान राज्य का पत्र भाग –1(ख) दिनांक 11 सितम्बर 1954 के पृष्ठ संख्या 387 पर प्रकाशित है, के अनुसार इसका पंजीयन शुल्क से मुक्त है।

jguukek **(Agreement Deed)**

यह अनुबंध आज दिनांक ..... माह .....वर्ष को श्री ....पुत्र श्री ..... उम्र..... जाति ..... निवासी ....तहसील.....जिला– ..... (राज.) जो चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौड़गढ़ के सदस्य है, जिसकी सदस्य संख्या क्रमशः .... हैं इसके आगे राहिन संबोधित किया गया है और जब तक इसके विपरीत न कहा जाय अथवा कहा गया हो, इस शब्द के अर्थ में दायर (Heri) निष्पादक (Executor) प्रबंधक (Administrator) वैधिक प्रतिनीधी (legal representative) और अभिहस्तांत्रिकी (Assignee) भी निहित होंगे। प्रथम पक्ष के तथा चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौड़गढ जिसको संबंधित आगे मूर्तहीन किया गया और जब तक इसके विपरीत न का गया हो अथवा हका जाय इस शब्द के अर्थ में उत्तराधिकारी (Sucessors) अभिहस्तांत्रिकी (Assignee) भी निहित होंगी। द्वितीय पक्ष के बीच किया जाता है।

जो कि मूर्तहीन ने राहिन को रूपये कुल रू. ..... (अक्षरे ....) जिसमें से कृषक मित्र योजनान्तर्गत रू. ..... एवं कृषक साथी योजनान्तर्गत रू. ..... उद्देश्य के लिए ऋण देना स्वीकार किया हैं इससे पूर्व में ..... योजनान्तर्गत रू. ..... का ऋण अनुबंध बकाया है उसकी में पुष्ठि करता हूं। राहिन ने उक्त भुगतान को निम्न प्रकार से सुरक्षित करना स्वीकार किया है ।

;g vuqca/k lk{kh gS fd

1. राहिन इस अनुबंध द्वारा सम्मिलित अनुसूचि (1) में विवरण सहित दी गई राशि (आरजी को उनके उपराधों (Appurtences) सहित मुर्तहिन के पास रूपया ..... जो राशि की राहिन ने मुर्तहिन से उधार लेना निश्चित किया है एवं ब्याज निर्धारित दर से अन्य प्रासंगिक व्यय जो भी उपरोक्त ऋण के भुगतान व प्रत्यापन हो। इस प्रकार कुल ऋण के प्रतिभस्मरूप रहन (Simple Mortgage) रखना है यदि ऋणी उपरोक्त ऋण बैंक द्वारा निर्धारित ब्याजदर से ये ब्याज सहित समय पर नहीं चुकायेगा अथवा चुकाने में असमर्थ होगा तो मुर्तहीन को यह बंधक संपति तथा राहिन की किसी भी अन्य चल अथवा अचल संपति विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी। राहिन यह भी इकरार (covenant) करता है कि वह निजी रूप से जरे रहन मय ब्याज की अदायगी का जिम्मेवार होगा।
2. राहिन मुर्तहिन को उसकी बैंक शाखा में ऋण राशि व उस पर निर्धारित दर से ब्याज की अदायगी बैंक के नियमानुसार मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक अवधि में करेगा । ब्याज सहित किश्त की अदायगी प्रतिवर्ष 30 जून ..... को अथवा इसके पूर्व की जायेगी और यदि मूलधन या ब्याज सहित किश्त उपरोक्त तारीख तक अदा नहीं होगी तो राहिन को नियमानुसार दण्डनीय ब्याज का भूगतान करना होगा । राहिन द्वारा मूलधन या ब्याज को किसी किश्त अदायगी चुकने पर अथवा उक्त बैंक नियमानुसार ऋण का विमोचन रोधित (Forclose) कर दिये जाने पर मूर्तहिन को ऋण राशि की मांग करने का अधिकार होगा, चाहे ऋण के प्रतिशोधन की अवधि समाप्त हुई हो अथवा नही हुई हो व ऐसी दशा में मूर्तहीन को राहिन से सम्पूर्ण अवशेष ऋण राशि तथा खाता समाप्त किये जाने की तारीख से सम्पूर्ण ऋण उपरोक्तानुसार एवं वसूली खर्चो सहीत एक मुश्त वसूल किये जाने का अधिकार होगा । मूर्तहीन को उस अवधि तक के लिए जिसको बैंक उचित समझे बंधक भूमि पर कब्जा होने का अधिकार होगा और बंधक भूमि के भेज तथा लाभ को उपभोग करने तथा उसके भेज तथा लाभ को ऋण राशि अथवा ब्याज अथवा मिश्रित धन के पेटे जमा कराने का अधिकार होगा।(Rent & Profit)
3. राहिन घोषणा करता है कि बंधक संपति सभी प्रकार के भार से मुक्त है और किसी कारणवश उपरोक्त संपति के विषय में दावा हो और उससे मुर्तहिन को कोई हानि पहुंचती हो तो राहिन इकरार करता है कि वह भूमि पूर्ति करेगा तथा सभी प्रकार की सहायता देगा जो कि बंधक संपति सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हों।

4. राहिन इकरार करता है कि वह बंधक संपति का भविष्य में विक्रय द्वारा, उपहार द्वारा बंधक द्वारा अथवा अन्य किसी भी प्रकार से मूर्तहिन के लिखित आदेश के बिना, हस्तांतरण नहीं करेगा और यह कि राहिन समस्त बंधक ऋण के प्रतिशोधन तक बंधक भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति के हक में काश्तकारी हक (tenancy) उत्पन्न नहीं करेगा और वह बंधक भूमि पर सदैव काश्त करता रहेगा। यदि किसी प्रकार हस्तातरण किया गया तो मुर्तहीन द्वारा ऋण की अदायगी की मांग करने व अवशेष ऋण राशि को अभियाचन दिवस से देय दिवस तक निर्धारित ब्याज दर सहित एवं उपरोक्त प्रभारों सहित एक मुश्त वसूल करने की छूट होगी और वह उपरोक्त निश्चित अवधि से बाध्य न होगा ।
5. राहिन यह भी इकरार (covenant) करता है कि वह ठीक समय पर बंधक भूमि का लगान सरकार को देता रहेगा।
6. राहिन ने मूर्तहिन को अनुसूची (2) में लिखे दस्तावेज (Documents) दे दिये जो बंधक भूमि राहिन के अधिकारों (स्मत्व) से संबंधित है।
7. राहिन सहमति देता हे और घोषणा करता है कि उपरोक्त ऋण बैंक में प्रचलित अधिनियमों नियमों उपनियमों एवं बैंक के अंतर्गत लिख गया है और यदि इन अधिनियमों नियमों उपनियमों एवं बैंक के निर्देशों में कोई संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन हो तो यह ऋण उन संशोधित परिवर्तित और परिवर्धित अधिनियमों नियमों उपनियमों एवं बैंक के निर्देशों अधीन भी समझाा जायेगा और राहिन उन सभी के पालन के लिए बाध्य होगा।
8. राहिन यह इकरार करता है कि बंधक ऋण का उपयोग बंधक पत्र में दिए गए उद्धेश्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नही करेगा तथा मुर्तहिन बैंक द्वारा निश्चित अवधि में ऋण का उपयोग कर सुधार कार्य पुरा कर लेगा। शर्तो की पूर्ति न होने पर मुर्तहिन बैंक को अधिकार होगा कि वह ऋण को विमोचन रोधित (foreclose) कर राहिन से बंधक ऋण मय ब्याज एक मुश्त वसूल कर ले।
9. बंधक भूमि पर ऊपर लिखे हुए बंधक ऋण की सुरक्षा के अतिरिक्त उस धन की सुरक्षा के रूप में भी है जो कि राहिन द्वारा मुर्तहिन से पूर्व में लिया गया हो एवं भविष्य में समय–समय पर लें।

vuqlfp ¼1½ c/kd Hkfe dk fooj.k

निचे लिखी भूमि रहन की जाती है–

गांव, पटवार क्षेत्र, भूविलेख कार्यालय, तहसील	खाता नं.	खसरा नं.	कुल क्षैत्रफल		ऋण आवेदन कर्ता का हिस्सा	ऋण आवेदन कर्ता द्वारा धारित कृषि भूमि बीघा/हेक्टर मय बिस्वा/आरी	भूमि की किस्त
			बीघा/ हेक्टर	बिस्वा/ आरी			

गांव, पटवार क्षेत्र, भूविलेख कार्यालय, तहसील	खाता नं.	खसरा नं.	कुल क्षैत्रफल		ऋण आवेदन कर्ता का हिस्सा	ऋण आवेदन कर्ता द्वारा धारित कृषि भूमि बीघा/हेक्टर मय बिस्वा/आरी	भूमि की किस्त
			बीघा/हेक्टर	बिस्वा/आरी			

भूमि का डीएलसी मूल्य.. रूपये

vu|lfp ¼2½ QgfjLr nLrkost

क्रम संख्या	दस्तावेज का विवरण	तारीख दस्तावेज

उपरोक्त रहननामा की स्वीकृति में उपरोक्त राहिन आज दिनांक.. .... को मेंरे हस्ताक्षर किये देते है।

गवाह(1) हस्ताक्षर
पता

हस्ताक्षर राहिन

गवाह (2) हस्ताक्षर
पता

प्रबंधक/शाखा प्रबंधक
चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.
शाखा ....

fpRrkMx< dUnh; lgdkjh cd fy- fpRrkMx<
opu&i=

रूपया..... दिनांक .....

मैं ..... पुत्र श्री .....

निवासी ..... चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

द्वारा मॉग करने अथवा आदेशित किये जाने पर रू. .....वार्षिक ब्याज .....

..... दर से चुकाने का वचन देता हूॅ।

दिनांक ..... हस्ताक्षर ऋण प्राप्तकर्ता

fpRrkMx< dUnh; lgdkjh cd fy- fpRrkMx<
vfojy&i=

प्रबंध निदेशक
चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.
चित्तौड़गढ़

महोदय,

मैं एक वचन पत्र रू. .....(अक्षरे रूपये .....

.....मात्र) संलग्न कर अपनी सहमति एवं स्वेच्छा

व्यक्त करता हूॅ।

कि यह वचन–पत्र कृषक मित्र एवं कृषक साथी ऋण योजना के अंतर्गत मेरे द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण राशि को प्रत्याभूति स्वरूप माना जावे। प्राप्त ऋण राशि के अंतर्गत असल ब्याज के रूप में मेरी और किसी प्रकार का भी बकाया होने तक इसे ऋण पेटे अविरल प्रत्याभूति के रूप में स्वीकार किया जावे।

दिनांक ..... हस्ताक्षर ऋण प्राप्तकर्ता

(नियमानुसार स्टाम्प पर)

जमानत अनुबन्ध–पत्र

प्रेंषिति :–

फोटो

चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चित्तौड़गढ़
शाखा .....

प्रिय श्रीमान्

आपकी बैंक द्वारा कृषक मित्र योजना एवं कृषक साथी योजना के अन्तर्गत श्री..... पुत्र श्री .....(जिसे आगे ऋणी कहा जावेगा) निवासी..... को कुल रू.....(अक्षरे रू.....) जिसमें से कृषक मित्र योजनान्तर्गत रू. ..... एवं कृषक साथी योजनरान्तर्गत रू. .....अवधि .....वर्ष हेतु ऋण देना स्वीकार किया है ।

उक्त ऋणी को जारी किये गये समस्त ऋण मय ब्याज/अन्य देयता एवं वचन पत्र के लिए मैं एतद्वारा अपनी व्यक्तिगत जमानत देता हूं ।

यह है कि मेरी व्यक्तिगत हैसियत कुल चल–अचल सम्पति से रू..... (अक्षरे रू. .....) की है। उक्त चल एवं अचल सम्पति को यह जमानत पत्र निष्पादित करने के उपरान्त अन्य कोई भार अथवा बेचान मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा।

यह है कि मैं आपकी बैंक का नोमिनल सदस्य हूं एवं सहकारी अधिनियम के समस्त प्रावधान मुझ पर प्रभावी होगें।

यह है कि मैं गर्भित स्वीकृति प्रस्तुत करता हूं कि बैंक का पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त ऋणी के विरूद्ध बकाया ऋण तातारीख ब्याज एवं अन्य देयताओं के लिये मेंरी पूर्व स्वीकृती के बिना ऋणी की और बकाया ऋण, ब्याज एवं अन्य देयताओं की बाकियात के विरूद्ध मेंरी चल, अचल सम्पति को अधिग्रहण कर जरीए बिक्री समस्त बकाया राशि को एक मुश्त वसूल कर सकेगा। यदि ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज एवं अन्य देयताओ का चुकारा आपकी बैंक को नही किया जाता है तो जरिये यह अनुबंध पत्र में उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होउगां एवं बैंक द्वारा उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओ की वसूली हेतु मेरी चल अचल सम्पति जरिए विक्रय बकाया राशि वसुल की जाएगी। जिसके लिए मुझे किसी प्रकार का उज्र एवं एतराज नही होगा।

ऋणी की और से किसी भी दिनांक को बकाया ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं का बैंक को चुकारा नही किया जावेगा तो मै उक्त बकाया समस्त राशि मय हर्जा खर्चा जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

यह है कि उक्त ऋणी द्वारा ऋण नही चुकाने अथवा दिवालिया हो जाने पर भी एतद् जमानत पत्र में उक्त ऋणी की और बकाया समस्त ऋण ब्याज एवं अन्य देयताओं के चुकारे के लिए प्रतिबद्ध होउगां एवं बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बैंक मेरी चल–अचल सम्पति को विक्रय कर उक्त बकाया समस्त राशि वसूल कर सकें। जिसके लिए मुझे कोई उज्र/एतराज नहीं होगा।

यह है कि जमानत अनुबंध पत्र जब तक ऋणी द्वारा अथवा मेंरे द्वारा बकाया समस्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के सहित आपकी बैंक को अदा कर नाबाकियात प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के लिए मुझ पर प्रभावशील होगा एवं मुझ पर बन्धन कारी रहेगा।

यह है कि जमानत अनुबधं पत्र आज दिनांक ..... को निम्नाकिंत साक्षियो के समक्ष हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया हैं। जो वक्त जरूरत काम आवें।

साक्षी के हस्ताक्षर

1. नाम.....

पता.....

2 नाम .....

पता.....

जमानतदार के हस्ताक्षर

1. नाम .....

पता.....

.....

शाखा प्रबंधक

fpRrkMx< dUnh; lgdkjh cd fy- fpRrkMx< lgefr&i=

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा ....ने .... की प्रार्थना पर कृषक मित्र एवं कृषक साथी ऋण योजना के अंतर्गत कुल साख सीमा रू. .... (अक्षरे. ....) जिसमें से रू. .... कृषक मित्र योजना एवं रू. .... कृषक साथी योजना स्वीकृत करना निश्चित किया है इसके लिए मुझे निम्न शर्ते मान्य है :–

1. बैंक में किसी समय उस रकम से अधिक रूपया नहीं मांगा जायेगा जो ऋणी के खातें या खातों को कुल देय रूपया .... से अधिक न होगी। परन्तु ऋणी (जो आगे ऋणी के नाम से संबंधित होगा) समस्त रकम के भुगतान के लिए जो कि उनके नाम इस खातें या खातों में भुगतान योग्य है, वह उपरोक्त निर्धारित सीमा से चाहे अधिक भी हो देने के लिए बाध्य होगा।
2. बैंक इसके लिए स्वतंत्र होगा कि उक्त सीमा के अंतर्गत एक या एक से अधिक किश्तों में दे या जिस समय के भीतर ठीक समझे।
3. बैंक किसी भी समय बिना पूर्व सूचना दिए और बिना कोई कारण बताये ऋण देने से मना कर सकती है, चाहे ऋणी से निर्धारित सीमा रूपये तक प्राप्त किया है या नहीं।
4. बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित ब्याज दर जो मेरे (ऋणी) द्वारा स्वीकार होगी को नियमानुसार अवधि में उक्त खातों के प्रतिदिन के शेष मूल अथवा ब्याज मूलीकरण जो भी स्थिति हो पर मेरे (ऋणी) द्वारा ब्याज देय होगा ।
5. बैंक द्वारा मांग करने पर जो ऋणी द्वारा उक्त खातों के अनुसार ऋण देय है, उसका भुगतान देय तिथि तक निर्धारित ब्याज दर के अनुसार और अन्य कोई प्रभार व खर्चे जो बैंक द्वारा निर्धारित किए गए है, अथवा दिए हुए का भुगतान भी ऋणी को करना होगा और प्रभार व खर्च आदि के संबंध में बैंक की किताबें प्रमाणित होगी और ऋणी को उनकी सत्यता बिना किसी पत्र या वाउचर देय मान्य होगी।
6. यदि बैंक को ऋण वसूल करने में कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी तो ऋणी को ऋण वसूली करने के समय तक पूरा व्यय बैंक को देना होगा। साथ ही कानुनी कार्यवाही करने के संबंध जो व्यय वाद प्रस्तुत करने पर होगा वह भी ऋणी को देना होगा।
7. संबंधित वचन–पत्र दिनांक .... को रूपया ....
   (अ) (अक्षरे ....) का ऋणी द्वारा बेंक के पक्ष में उस रकम के भुगतान के लिए लिखा गया है जो खातों के अनुसार किसी भी दिन ऋणी पर होगा।
8. ऋणी वचन देता है किः–
   (अ) ऋण .... वर्ष की अवधि के लिए बैंक द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत साख सीमा के तहत प्राप्त की गयी ऋण राशि का नियमानुसार ब्याज सहित पूर्ण रूपेण चुकारा करता रहेगा।

(ब) ऋण की रकम उसी/उन्ही/कार्य/ व कार्यो में लगायी जावेगी जिसके लिए वह प्राप्त की गई है। यदि मेंरे द्वारा ऋण राशि का उपभोग अन्य कार्य में लेना पाया जावेगा जो बैंक को मेंरी और बकाया समस्त ऋण व ब्याज एक मुश्त वसूल करने का अधिकार होगा।

(स) ऋण के संबंध में प्रत्येक झगड़ा, मतभेद अथवा प्रश्न जो उस आलेख के संबंध में इस सहमति–पत्र पार्टियों अथवा उसके द्वारा अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के बीच में होगा, उसकी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर को पंच फैसले के लिए अधिकृत होंगे और इस संबंध में दिया हुआ उनका निर्णय अंतिम निर्णय माना जावेगा और पक्षकार उसके लिए पाबंद होंगे।

(द) ऋणी उपरोक्त ऋण संबंधी वर्तमान में निर्धारित नियमों व शर्तो तथा कालान्तर में समय–समय पर किये जाने वाले संशोधन् व परिवर्तन को यथावत् मानने के लिए पाबंद होंगे।

(य) बैंक द्वारा भविष्य में यदि ब्याज दर में किसी प्रकार की कमी/बढ़ोतरी की गई तो मुझे मान्य होगी।

(र) बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि जिस अवधि तक प्रभावी रहेगी उस अवधि में समस्त प्रकार का लेन–देन, व्यवहार केवल इसी बैंक के साथ करूंगा।

(ल) उपरोक्त वर्णित शर्ते एवं इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा भविष्य में बैंक हित में लगायी जाने वाली समस्त शर्ते मुझे मान्य होगी ।

हस्ताक्षर

प्रार्थी वास्ते

गवाह : 1. नाम
पता

गवाह : 2. नाम
पता

प्रमाणित
शाखा प्रबंधक

Chittorgarh Kendriya Sahakari bank Ltd.
Chittorgarh

Letter Of Lien And Set-Off

Date…….

To,
The Manager
Chittorgarh Kendriya Sahakari Bak Ltd.
Branch …….

Dear Sir,

In consideration of your making advances to me /us and/or giving me/us banking accommodation and facilities by way of loan/overdraft/each credit from time to time. I/we agree with you as follows.

1. That you may hold all securities belonging to me/us which may now be in your possession or which may at any time here after come into your Possession and the proceeds there of respectively not only for the Specific advance made thereon but also as collateral security for any other moneys now due or which may at any time be due from me/us to your whether singly or jointly with another or others.
2. That in addition to any general similar right to which you as banker's may be entitled by law. You mat at any time and without notice to me/us combine or consolidate all or any or of my/our accounts with and liabilities to you and set off or transfer any sums standing to the credit of any one or more of such accounts in or towards satisfaction of my/our liabilities to you on any other account or in any other respect, whether such liabilities be actual or contingent primary or collateral and several or joint.
3. That if any balance of the sale proceeds shall remain in the hands of the bank after the sale of any of the securities the bank may as its sole discretion apply the balace if any towards any sum of sums of money the may be owing to me/us to the bank upon any other account or any other transaction or transaction separate or distinct from the security, and you will pay to me/us any surplus which may remain after settlement of all claims or your bank against me/us

At …….. this……. Day of……

Yours Faithfully

Vitness 1-

Vitness 2-

fpRrkMx< dUnh; lgdkjh cd fy- fpRrkMx<
gkbiikfFkd'ku MhM

संख्या ....
राशि....................................
नाम ....

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. (जिसको आगे बैंक की संज्ञा दी गई है) ने (................... .... (जिसको आगे ऋणों की संज्ञा दी गई) को प्रार्थना पर .... उद्धेश्य से ऋण प्रदान करने की स्वीकृति पर कृषक मित्र योजनान्तर्गत खाता .... रूपया तक एवं कृषक साथी योजनान्तर्गत खाता .... रूपया तक का ऋणी के नाम खोला है अथवा खोलना स्वीकार किया है जो खाता बैंक द्वारा समाप्त न किये जाने तक चालू रहेगा और जिसकी सूरक्षा के लिए संपति को दृष्टि बंधक करने हेतु बैंक एवं ऋणी (जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से बाध्य होना स्वीकार करते है।) के मध्य निम्नलिखित किया जाता है।

इस ऋण की राशि से खरीदी गई सम्पति एवं तैयार माल राजस्थान सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 38, 39 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के पास हाईपोथिकेट रहेंगे, साथ ही मे उक्त सम्पति में विस्तार, वृद्धि अथवा कोई साधन बनाता हूॅं तो भविष्य में ऐसी सम्पतियों पर भी बैंक का भार रहेगा। इसके साथ ही यह विश्वासपूर्वक लिखित कथन प्रस्तुत करता हूॅं कि उक्त सम्पति तैयार माल पर हाईपोथिकेटेड दी चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,...का बोर्ड लगाउंगा एवं इस क्रय की गई सम्पति को बैंक के पूर्ण (ऋण राशि + ब्याज राशि) चुकाये बिना किसी भी प्रकार, बिना बैंक की स्वीकृति के किसी संस्था –व्यक्ति /फर्म अथवा कही भी रहन, मय मुन्तकिल अथवा स्थानान्तरण/बेचान नही करूंगा।

शाखा प्रबंधक

हस्ताक्षर
ऋणी (सदस्य)
पता..
....

गवाह :–
1–
2–